सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No. NCST/ATY-620/MP/7/2022-APCR Dated: 04.09.2023

To,

1 **Shri Kailash Chand Gupta,**
Additional Chief Secretary
Higher Education Department
Govt. of Madhya Pradesh
Vallabh Bhawan, Bhopal – 462004
Email:- pshighedu@mp.gov.in

2 **Shri Vikas Mishra**
Collector & District Magistrate
District – Dindori
Behind PNB Bank,
Dindori -481880 (Madhya Pradesh)
Email- dmdindori@nic.in,
Phone no. -07644-234174

3 **Shri Sanjeev Kumar Sinha**
Superintendent of Police
District- Dindori- 481880
(Madhya Pradesh)
Email :- sp_dindori@mppolice.gov.in
Phone:- 7049100436

Subject: **Representation of Dr. Manisha Kol, Asst. Professor M.P. College, Dindori, (M.P) regarding Atrocity against ST faculty relating to non-cooperating of Police authorities.**

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Sitting held on 17.08.2023 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर. मीना / H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ **Research Officer**

Copy to:

Dr. Manisha Kol
D/o Shri Vishnu Prasad Kol,
Ward No. 14, Bazaar Mohalla,
Mandala Road, Barela,
Jabalpur – 483001
M. No. 9630546982
E.mail: drmanishakol1983@gmail.com

— NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(NCST/ATY-620/MP/7/2022-APCR)

समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "शासकीय महाविद्यालय मेहदवानी जिला - डिंडोरी मध्यप्रदेश में पदस्थ महिला प्राध्यापक के साथ प्रभारी प्राचार्य कॉलेज द्वारा दुर्व्यवहार,अभद्रता व गाली- गलोच किये जाने और कॉलेज से बर्खास्त करने की धमकी" देने के संबंध में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2023 को आयोग में हुई सुनवाई/सिटिंग का कार्यवृत।

****

सुनवाई/सिटिंग की तिथि : 17.08.2023, 11:00 बजे (अपराह्न)

सुनवाई/सिटिंग में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

****

आयोग द्वारा की पूर्व की कार्यवाही

प्रकरण में आयोग ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "शासकीय महाविद्यालय मेहदवानी जिला - डिंडोरी मध्यप्रदेश में पदस्थ महिला प्राध्यापक के साथ प्रभारी प्राचार्य कॉलेज द्वारा दुर्व्यवहार,अभद्रता व गाली- गलोच किये जाने और कॉलेज से बर्खास्त करने की धमकी" देने के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया |

प्रकरण में आयोग ने पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश,जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जिला-डिंडौरी, मध्य प्रदेश को सूचना पत्र जारी कर 13.09.2022 को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । सूचना पत्र जारी किए गए संबंधित अधिकारियों से उत्तर प्राप्त हुआ जो संतोषप्रद प्रतीत नहीं होने पर उक्त प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 17.10.2022 को माननीय सदस्य की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की :-

1. एसपी डिंडौरी द्वारा सुनवाई के 3 दिन के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
2. सुनवाई के 3 दिन के भीतर इस मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ एसपी डिंडौरी द्वारा विभागीय एवं अनुशासनात्मक जांच की जाएगी।
3. गवाह और पीड़ित की सुरक्षा पुलिस अधीक्षक, डिंडोरी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पीड़ित के पक्ष में मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
5. याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में विधि अनुसार अन्य उचित प्रावधान जोड़ा जाए ।

यह भी कहा गया कि पुलिस अधीक्षक, डिंडोरी द्वारा सुनवाई के 3 दिवस के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

उक्त दिवस सुनवाई पश्चात पुलिस अधीक्षक,डिन्डोरी से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायलय प्रस्तुत किया गया |

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पीड़िता की ओर से दिनांक 05.12.2022 को पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पीडिता ने उल्लेख किया है कि आरोपी कॉलेज में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसका स्थानांतरण कर उसे परेशान कर रहा है। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका वेतन भी रोक दिया गया है|

पीड़िता के पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ,एसपी, डिंडोरी तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मप्र को बुलाकर पिछली बैठक की अनुशंसा पर की गई कार्यवाही की स्थिति जानने के लिए आयोग द्वारा पुनः बैठक किए जाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया।

आयोग द्वारा दिनांक 17.08.2023 को हुई बैठक में दोनों पक्षों से की गई चर्चा के बाद आयोग द्वारा अवलोकन किया गया कि पीड़िता का स्थानांतरण इस घटना के पश्चात् लगभग 1000 किलोमीटर दूर बडवानी जिले में किया गया है जबकि आरोपी प्रभारी प्राचार्य को उसी जिले के अन्य महाविद्यालय में पदस्थ किया गया है | पीड़िता इतनी दूर पदस्थ रहकर अपने पक्ष को डिन्डोरी जिले में चल रही जांचो में उचित प्रकार से नहीं रख सकेगी | चर्चा में यह भी स्पष्ट हुआ कि लगभग 7 माह का वेतन अभी तक प्रदान नहीं किया गया हैं जो कि सर्वथा अनुचित है |आयोग को यह भी जानकारी दी गई की पीड़िता के स्थानांतरण को लेकर पीड़िता पर भद्दे पोस्ट सोशल मिडिया में किए गए जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस को की गई थी | जिस पर कोई जाँच या कार्यवाही नहीं की गई है|

प्रकरण की उक्त स्थिति के आधार पर आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुशंसाएँ की जाती हैं -:

1. पीड़िता का स्थानांतरण डिन्डोरी जिले के किसी महाविद्यालय में किया जाए तथा जिले में पद की रिक्तता न होने की दशा में डिन्डोरी जिले के निकटतम किसी जिले में 7 दिवस में स्थानांतरण किया जाए | (कार्रवाई - उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल)

2. सुनवाई के 7 दिवस में पीड़िता का बकाया सम्पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाना । (कार्रवाई - उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल)

3. सोशल मिडिया को लेकर पीड़िता द्वारा की गई शिकायत की त्वरित जाँच कर विधिसंगत कार्यवाही करना (कार्रवाई - पुलिस अधीक्षक,डिंडोरी)

4. आयोग की बैठक दिनांक 17.10.2022 की अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 5 का पालन करते हुए, पुलिस प्रकरण में आये नवीनतम तथ्यों \ साक्ष्यों को अविलंब न्यायलय में लंबित प्रकरण में प्रस्तुत करना |(कार्रवाई - पुलिस अधीक्षक,डिंडोरी)

यह अनुशंसा भी की जाती है कि सम्पूर्ण कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को दो सप्ताह में प्रस्तुत की जाए।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-620/MP/7/2022-APCR

Sitting held on 17.08.2023 at 11.00 A.M in the case of news item published in the newspaper that the Principal in-charge misbehaved with the female professor of the college, threatened the ST woman by entering her class, complaint lodged in the police station. No action taken by the Police against the accused.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Ananta Nayak Hon'ble Member	In Chair	
2.	R. K. Dubey	Dy. Director	[signature]
3.	M.R. Meena	R.O.	[signature]
4.	अमृता सोलंकी	वरिष्ठ अन्वेषक	[signature]
5.	Radhakanta Tripathy	Special Rapporteur	[signature]
6.			
7.			
8.			
9.			
II	**Officers from Higher Education Department, Govt. of Madhya Pradesh and District - Dindori (Madhya Pradesh)**		
1.	Sanghmitra Gautam	Dy. Sec. Higher Educati.	[signature] 17.08.23
2.	Jagnath Marskam	ASP dindauri	[signature] 17/8/23 ASP
3.	Sarodhan Singh.	Add. Collector Dindori 9421002[illegible] ADL	[signature] 17/8
4.			
5.			
III	Petitioners		
1.	Pro Manisha Kol.	Asst. pro. Zoology P.G. college Badwani Dist. Badwani.	[signature] 17/8/2023
2.			
3.			